

विविध बैंक प्र0सं0 01/2018 भारतीय स्टेट बैंक शाखा इन्डस्ट्रीज एरिया, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर बनाम श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न0 52, गली न0 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न0 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर।

13.03.2018



प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस दिनांक 26.02.2018 को सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक श्री भारतभूषण महेन्द्रा का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न0 52, गली न0 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न0 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 28,00,000/-रूपये (अखरे अठाईस लाख मात्र) ऋण दिनांक 11.02.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न0 52, गली न0 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न0 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर ने अपनी व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान न0 145/397 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 10' गुणा 18' कुल 180 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नियमित रूप से नहीं करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 30.01.2017 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर दिनांक 05.03.2017 तक ऋण राशि 27,04,519/-रूपये (ब्याज दिनांक 04.03.2017 तक) एवम आगे का ब्याज तथा अन्य खर्च बकाया है। अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 23.10.2017 को रजि0 डाक से भिजवाया गया। रजि0 एडी रसीद अनुसार नोटिस अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी को प्राप्त हो चुका है एवं धारा 13(2) का नोटिस भी अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी स्वयं द्वारा प्राप्त किया है परिणाम स्वरूप नोटिस प्राप्ति के हस्ताक्षर किये हैं। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न0 52, गली न0 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न0 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अपनी व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान न0 145/397 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 10' गुणा 18' कुल 180 वर्गफुट का भौतिक कब्जा पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर


मैने भारतीय स्टेट बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न० 52, गली न० 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न० 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में 28,00,000/-रूपये (अखरे अठाईस लाख मात्र) ऋण दिनांक 11.02.2015 को स्वीकृत किया था। उक्त ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न० 52, गली न० 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न० 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर ने अपनी व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान न० 145/397 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 10' गुणा 18' कुल 180 वर्गफुट को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। प्रार्थी बैंक के प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न० 52, गली न० 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न० 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 06.03.2017 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजि० नोटिस जारी किया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा मांग सूचना के उत्तर में न तो कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और न ही प्रार्थी बैंक की बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए उक्त बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न० 52, गली न० 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न० 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि० डाक से नोटिस दिनांक 06.03.2017 को भिजवाया गया। पत्रावली में उपलब्ध रजि० एडी रसीद अनुसार रजि० डाक से अप्रार्थी ऋणी को भिजवाया गया धारा 13(2) का नोटिस उसे प्राप्त हो चुका है व पत्रावली में उपलब्ध धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी स्वयं द्वारा प्राप्त किया है परिणाम स्वरूप नोटिस पर प्राप्ति के हस्ताक्षर उपलब्ध है। प्रार्थी बैंक के धारा 14 के प्रा० पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी को उक्त धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी की ओर से मांगपत्र के उत्तर में अपना कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत नहीं किया और न ही अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि जमा करवाई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न० 52, गली न० 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न० 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान न० 145/397 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 10' गुणा 18' कुल 180 वर्गफुट का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

रा. 111
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा इण्डस्ट्रीज एरिया, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी श्री सीताराम सोनी पुत्र श्री रोशन लाल सोनी निवासी मकान न० 52, गली न० 03, दुर्गा विहार श्रीगंगानगर, शॉप न० 95, जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी व्यवसायिक सम्पत्ति दुकान न० 145/397 जवाहर मार्केट, श्रीगंगानगर क्षेत्रफल 10' गुणा 18' कुल 180 वर्गफुट का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञान राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर